मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6—7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 224/2023

1. साहबराम पुत्र स्व0 श्री भागीरथ, आयु 62 वर्ष जाति जाट निवासी भागसर हाल लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——वादी

—:बनाम:—

1. शांतिदेवी धर्मपत्नी स्व. श्री सुखराम
2. ओमप्रकाश | पुत्रगण स्व. श्री सुखराम
3. रामस्वरूप | जाति जाट निवासीगण भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:निर्णय:—

दिनांक:—25/06/24

वादी की ओर से श्री मदनलाल पारीक, प्रतिवादीगण की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे चक 32 एस. टी.जी. के खाता सं. 98/80 तादादी 1.049 हैक्ट. वादी प्रथम पक्ष की एकल खातेदारी तथा जमाबन्दी में प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष सं. 1 ता 3 का नाम विलोपित किये जाने योग्य है तथा वादी प्रथम पक्ष चक 32 एस.टी.जी. के खाता सं. 98/80 तादादी 1.049 हैक्ट. भूमि का एकल खातेदार काश्तकार है तथा चक 32 एस.टी.जी. खाता सं. 98/80 में प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के नाम विलोपित किये जाते है तथा वादी प्रथम पक्ष साहबराम पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी भागसर के स्थान पर साहबराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी भागसर हाल लुढाणा खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश पारित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/6/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:11 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा